

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में शिक्षा संबंधी प्रावधान

डॉ.अनुपमा वर्मा (सहा.आचार्य)

श्री अग्रसेन स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, सीटीई.जामडोली राज.

सारांश - राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में शिक्षा की पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी। NEP-2020 में कक्षा-5 तक की शिक्षा में मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। कक्षा-6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटरनशिप (Internship) की व्यवस्था भी दी जाएगी। है। शिक्षा हर इंसान का अधिकार है। शिक्षा आपको समानता और सामाजिक न्याय को समझने में मदद करती है। "समावेशी शिक्षा" शब्द NEP 2020 का एक हिस्सा है और इसके साथ शिक्षा प्रणाली सीखने की पहुँच और भागीदारी परिणामों में अंतर को पाटती है। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।

मुख्य शब्द - राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, , समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, समावेशी शिक्षा आदि

प्रस्तावना

नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिये जून, 2017 में पूर्व इसरो के प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 31 मई, 2019 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा' कैबिनेट को प्रस्तुत किया। इसने भारतीय मूल्यों, परंपराओं और आधुनिकता का समन्वय करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट पेश की। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 29 जुलाई 2020 को नवीन शिक्षा नीति 2020 जारी की।

- 29 जुलाई, 2020 को केन्द्रीय मंत्रीमण्डल (केन्द्र सरकार) द्वारा इस नीति को मंजूरी मिली।
- यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' 1986 को प्रतिस्थापित करेगी।
- यह 21 वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है।
- 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है।
- NEP-2020 के तहत केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है।
- NEP 2020 बालक को केन्द्र में रखती है तथा सीखने में नवीन परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनों पर बल देती हैं।
- यह जिज्ञासा, खेल अनुभव, समस्या समाधान, संवाद को सिखाने में महत्वपूर्ण मानती हैं।

- नवीन शिक्षा नीति 2020 को 27 अध्याय तथा 04 भागों (स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, केंद्रीय विचारणीय मुद्दे और क्रियान्वित मुद्दे) में विभक्त किया गया है।
- इस शिक्षा नीति के पांच आधारभूत स्तंभ माने गए हैं जो कि निम्न हैं – पहुंच, सामान्य, गुणवत्ता, वहनीयता और जबाबदेही
- नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' का नाम बदल कर 'शिक्षा मंत्रालय' करने को भी मंजूरी दी गई है।

प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान

3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये शैक्षिक पाठ्यक्रम का दो समूहों में विभाजन 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये आँगनवाड़ी/बालवाटिका/प्री-स्कूल (Pre-School) के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण 'प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा' की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

स्कूली शिक्षा संरचना

नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 के प्रारूप को अपनाया गया है, जिसमें--		
फाउंडेशनल	(3-8 वर्ष)	प्री-स्कूल और कक्षा 1-2
प्रीपैरेटरी स्टेज	(8-11 वर्ष)	कक्षा 3-5
मिडिल स्टेज	(11-14 वर्ष)	कक्षा 6-8
सेकेंडरी स्टेज	(14-18 वर्ष)	कक्षा 9-12

6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी। NEP में MHRD द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' की स्थापना की मांग की गई है। राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी।

उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान

NEP-2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' (Gross Enrolment Ratio) को 26.3% (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। NEP-2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एकजट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा (1 वर्ष के बाद प्रमाणपत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक)। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से

सुरक्षित रखने के लिये एक 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (Academic Bank of Credit) दिया जाएगा, जिससे अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। नई शिक्षा नीति के तहत एम. फिल. (M. Phil) कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया।

भाषायी विविधता को संरक्षण

NEP-2020 में कक्षा-5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार

इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा-6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटरनशिप (Internship) की व्यवस्था भी दी जाएगी।

समावेशी विद्यालय व समावेशी शिक्षा -

छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा-10 और कक्षा-12 की परीक्षाओं में बदलाव किये जाएंगे। इसमें भविष्य में समेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। शिक्षा हर इंसान का अधिकार है। शिक्षा आपको समानता और सामाजिक न्याय को समझने में मदद करती है। "समावेशी शिक्षा" शब्द NEP 2020 का एक हिस्सा है और इसके साथ शिक्षा प्रणाली सीखने की पहुँच और भागीदारी परिणामों में अंतर को पाटती है। आम भाषा में इसका मतलब है कि हर बच्चे को एक छत के नीचे शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक पृष्ठभूमि या विकलांगता से संबंधित हों। समावेशी शिक्षा नीति के तहत सभी छात्र कक्षा में एक-दूसरे का स्वागत करते हैं और एक-दूसरे का समर्थन भी करते हैं। इस तरह से पढ़ाई में विविधता आती है। कक्षा के अंदर शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वह सभी छात्रों को गतिविधि आधारित माहौल में शामिल करे।

समावेशी शिक्षा या निष्पक्ष शिक्षण छात्रों को उनके संचार कौशल, सामाजिक-भावनात्मक कौशल और संज्ञानात्मक कौशल को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह कम आय वर्ग या विशेष रूप से विकलांग श्रेणी के बच्चों के खिलाफ भेदभाव को भी कम करता है। उसे समान पहुँच, समानता और शिक्षा का अधिकार मिलेगा। ऐसे कई अलग-अलग कारक हैं जिनके कारण विशेष रूप से सक्षम बच्चों, वंचित बच्चों, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के छात्रों और लड़कियों का स्कूलों में नामांकन कम हो रहा है। वे हैं:

छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक-निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH) नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' की स्थापना की जाएगी।

छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग।

शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार

शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय-समय पर लिये गए कार्य-प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक 'शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' (National Professional Standards for Teachers- NPST) का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' [National Curriculum Framework for Teacher Education-NCFTE) का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।

निष्कर्ष -

मातृभाषा: कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है, और आगे की शिक्षा के लिए भी इसकी प्राथमिकता को बढ़ावा दिया गया है। विज्ञान और गणित: द्विभाषी पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण सामग्री को विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे। शारीरिक शिक्षा: विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खेल, योग, और नृत्य जैसी गतिविधियों को शामिल किया जाएगा। मूल्यांकन प्रणाली: योगात्मक मूल्यांकन के स्थान पर दक्षता आधारित रचनात्मक मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाएगा

संदर्भ -

NEP 2020

bharatsamachartv.in ›

www.samanyagyan.com ›

leadschool.in › national-education-policy-nep-2020

www.rajasthanexam.org › national-education-policy

International Research Journal

IJNRD

Research through Innovation